web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 12 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 136

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री आज वन ओशन समिट के उच्चस्तरीय सत्र में लेंगे भाग

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर करीब 2:30 बजे एक वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट के उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष संबोधित करेंगे। वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9-11 फरवरी के दौरान किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है।

स्कूलों के बैंड राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बारी-बारी प्रस्तुति देंगे

0-रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लिया निर्णय

नईदिल्ली (आरएनएस)। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अब स्कूलों के बैंड बारी-बारी से नियमित तौर पर प्रस्तुति देंगे। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से स्कूलों के बैंडों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि स्कूल बैंड राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति दे सकें। स्मारक की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय निदेशालय, एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय के समन्वय से बैंड का स्थान, थीम, धुन आदि तय किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों से इस नियमित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय, एकीकृत रक्षा सेवा मुख्यालय के समन्वय से प्रस्तुति करने के लिए अपने संबंधित राज्यों के स्कूलों से एक बैंड का चयन करने का अनुरोध किया है। सीबीएसई रक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इन स्कूल बैंडों की प्रस्तुति की संभावित तिथि 22 फरवरी है, जो राष्ट्र को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समर्पण की तीसरी वर्षगांठ से पहले है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था।

पति ने अपनी सगी साली के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या

प्रतापगढ़ (आरएनएस)। उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ में थाना संग्रामगढ़ पर आवेदक दशरथलाल पुत्र कल्लू राम निवासी मादामई थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा यह सूचना दी गयी कि मेरे विवाहिता लडक़ी वन्दना उर्फ सुशीला की उसके पति अंकित कुमार व मेरी छोटी पुत्री मोनी द्वारा दिनांक 06.02.2022 की रात्रि को हत्या कर दी गयी है। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 38/2022 धारा 302, 201 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना/ कार्यवाही के क्रम मे गुरुवार को थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ अनिल कुमार पाण्डेय मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना क्षेत्र के बाबागंज नहर पुलिया के पास से उक्त घटना से संबंधित अभियुक्त अंकित कुमार व अभियुक्ता मोनी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 शॉल बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार द्वारा बताया गया कि हमाराआपस में प्रेम संबंध है और हम दोनों आपस में बातचीत करते है जिसका मेरी पत्नी वंदना उर्फ सुशीला (मृतका) विरोध करती थी। दिनांक 06.02.2022 को मैं व मेरी साली मोनी फोन से बात कर रहे थे जिसे मेरी पत्नी ने सुन लिया व मुझसे झगड़ा करने लगी। जब मैंने यह बात अपनी साली को बतायी थी और फिर उसी रात्रि को योजनाबद्ध तरीके से मैं अपनी साली मोनी को अपने घर ले आया और फिर हम दोनों ने मिलकर 01 शॉल से अपनी पत्नी का मुंह व गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद मैं अपनी साली मोनी को उसके घर छोड़ आया और सभी को अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की सूचना दे दी व कुछ देर बाद में तबीयत खराब होने से उसकी मृत्यु हो जाने की सूचना दे दी।

हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नईदिल्ली (आरएनएस)। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने मामला लंबित होने तक किसी भी धार्मिक कपड़े या हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि यह अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर पैदा करता है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है।

बार एंड बेंच के अनुसार, याचिकाकर्ता रहमतुल्लाह कोठवाल और अदील अहमद ने शीर्ष अदालत में अपील दायर होने की पुष्टि की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश सीधा धर्मनिर्पेक्षता पर चोट पहुंचाता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को छात्रों से कहा कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें जिससे लोगों को उकसाया जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं।

बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मामले के निपटारे तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हम आदेश पारित करेंगे। स्कूल-कॉलेज शुरू होने दें। लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी भी छात्र-छात्राओं को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देना चाहिए।'

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने अदालत से उनकी आपत्ति पर विचार करने का अनुरोध किया कि ऐसा आदेश अनुच्छेद 25 के तहत उनके मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित करने के बराबर होगा। कामत ने कहा, 'यह उनके अधिकारों का पूर्ण हनन होगा।' इस पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि यह व्यवस्था केवल कुछ दिन के लिए है जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता है और उनसे सहयोग करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा-इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं

कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ भी गलत है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। सही वक्त का इंतजार कीजिए। दरअसल, इस मामले में गुरुवार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक सरकार में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

एनआईए कोर्ट ने बांग्लादेशी एबीटी आतंकी को 7 साल की सजा सुनाई

कोलकाता (आरएनएस)। कोलकाता की एक विशेष एनआईए अदालत ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के एक बांग्लादेशी आतंकवादी को भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने समद मिया उर्फ तनवीर पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

मामला शुरू में कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने 21 नवंबर, 2017 को दर्ज किया था। गिरफ्तार किए गए एबीटी के पांच सदस्यों में चार बांग्लादेशी नागरिक और एक भारतीय है। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि एबीटी बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।

1 मार्च, 2018 को एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली और स्थापित किया कि एबीटी के बांग्लादेशी सदस्य भारत में आतंकवादी कृत्यों को करने की साजिश के अनुसरण में 2016 में भारत में प्रवेश कर गए थे।

आरोपी व्यक्तियों ने मजदूरों की आड़ में हैदराबाद, पुणे और मुंबई में यात्रा की थी और पटना में एक दुकान से रसायन खरीदने की कोशिश की थी।

उन्होंने कोलकाता में हथियार और गोला-बारूद खरीदने और रांची में ठिकाने बनाने की भी कोशिश की थी। जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तार किए गए सभी पांच आतंकवादियों को एनआईए ने चार्जशीट किया था। तीन को पहले एनआईए अदालत ने दोषी ठहराया था। एक आतंकवादी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।

महाराष्ट्र भारत का प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र:कोविंद

राष्ट्रपति ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया

मुंबई (आरएनएस)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को राजभवन, मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नए दरबार हॉल के उद्घाटन पर महाराष्ट्र के लोगों और सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता और भूमि में निश्चित रूप से कुछ विशेष बात है जो उन्हें यहां बार-बार आने के लिए आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में वे इस दौरे सहित 12 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र आध्यात्मिकता की भूमि होने के साथ-साथ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीरों की भूमि भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवान के भक्तों की भूमि भी है। महाराष्ट्र भारत का प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह राज्य प्रतिभा और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। महाराष्ट्र के लोग अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण न केवल मैं, बल्कि देश-विदेश के अनगिनत लोग भी बार-बार महाराष्ट्र आने के लिए आकर्षित होते रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में उन्हें एक खालीपन का अनुभव हो रहा है। एक सप्ताह पहले हमने अपनी प्यारी लता दीदी को खो दिया है। उन जैसी महान प्रतिभा का जन्म सदी में एक-आध बार ही होता है। लताजी का संगीत अमर है जो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव लोगों के मन-मस्तिष्क पर हमेशा अंकित रहेगा।

यह देखते हुए कि इस दरबार हॉल का निर्माण विरासत भवन की विशेषता को बरकरार रखते हुए किया गया है, उन्होंने कहा कि परंपरा को जीवित रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का चयन करना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने नवीनतम सुविधाओं के साथ इस दरबार हॉल के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल और राज्य सरकार को बधाई दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दरबार की आधुनिक अवधारणा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। जनता दरबार के माध्यम से सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों से जुड़ने का यह तरीका लोकप्रिय होता जा रहा है। इस प्रकार यह दरबार हॉल, एक नए संदर्भ में, हमारे नए भारत, नए महाराष्ट्र और हमारे जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है।

राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित

बजट सत्र का पहला चरण संपन्न

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा की कार्यवाही आम बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जवाब दिए जाने के बाद शुक्रवार को 14 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी और इसी के साथ उच्च सदन में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ। कार्यवाही स्थगित करने से पहले उपसभापति हरिवंश ने बजट सत्र के पहले चरण में उच्च सदन में जिस तरह से कामकाज हुआ, उसे लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू और अपनी तरफ से प्रसन्नता जतायी। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब सदन को (व्यवधान और शोरगुल की) विवशता के कारण स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में सदन में 51 तारांकित प्रश्न पूछे गए वहीं लोक महत्व के 50 मुद्दे एवं शून्यकाल में विभिन्न मुद्दे उठाये गये। उपसभापति ने सदन के सभी वर्गों को सकारात्मक भावना के साथ कामकाज करने की बधाई दी और उम्मीद जतायी कि आगे भी सदन इसी भावना के साथ काम करता रहेगा।

उल्लेखनीय है कि संसद के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। उसी दिन दोनों सदन में आर्थिक समीक्षा पेश की गयी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद के दोनों सदनों में आम बजट एवं संबंधित दस्तावेज रखे थे। दो फरवरी से दोनों सदनों में पहले राष्ट्रपति अभिभाषण और फिर आम बजट पर चर्चा की गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया था। सदन में 4 फरवरी को शुक्रवार होने के कारण गैर सरकारी कामकाज हुआ था किंतु सभी दलों के बीच बनी सहमति के कारण आज सदन में गैर सरकारी कामकाज नहीं हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम है।

एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सडक़ दुर्घटना में मौत, तीन घायल

अमेठी के शुकुलबाजार के पास डीसीएम से टकराई स्कॉर्पियो

मऊ ,(आरएनएस)। उत्तरप्रदेश में आज सुबह अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक सडक़ हादसे में मां और बेटे समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बुलाकीपुरा निवासी नूरजहां (65) का इलाज कराने के लिए शुक्रवार तडक़े परिवार के लोग स्कॉर्पियो से लखनऊ को निकले थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुकुलबाजार के पास पहुंचे थे कि डीसीएम से टक्कर हो गई। हादसे में नूरजहां और उसका पुत्र जाहिद कमाल एवं दामाद अतीकुर्रहमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बेटी अफसाना की केजीएमयू अस्पताल में मौत हो गई। वहीं समसुद्दीन पुत्र हाजी सहाय, चालक रिजवान पुत्र समसुद्दीन, मृतका नूरजहां का पुत्र अफसर पुत्र रियाज गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर, हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए शुकुल बाजार सीएचसी भिजवाया। जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

राज्य में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए अकादमिक निरीक्षण व्यवस्था लागू होगी

राज्य स्तर से संकुल स्तर और शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्कूल निरीक्षण की जिम्मेदारी

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए अकादमिक निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। समग्र शिक्षा द्वारा आज वेबीनार के माध्यम से आकादमिक निरीक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। यह व्यवस्था राज्य में कोविड लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में आई गिरावट में सुधार लाने की दृष्टि से लागू की जा रही है। अकादमिक मॉनिटरिंग के लिए 26 बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है, जिसे 100 अंकों में बांटा गया है। इसके साथ ही अकादमिक निरीक्षण सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए चेक लिस्ट और समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों को कोरोना काल में स्कूल लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से निरीक्षण में सभी बिन्दुओं पर सही जानकारी भरे जाने पर जोर दिया। डॉ. शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति में सुधार की दिशा में सतत् प्रयास करने की दिशा में काम करने का आव्हान किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्कूली विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार कर फोकस कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस बेवीनार में राज्य, जिला, विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों, संकुल समन्वयक उपस्थित थे। बेवीनार को प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा नरेन्द्र दुग्गा और अतिरिक्त मिशन संचालक काबरा ने भी संबोधित करते हुए जानकारी दी। एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी संचालक सोम शेखर द्वारा निरीक्षण के टुल को दर्ज करने की तकनीकी जानकारी से अवगत कराते हुए प्रत्येक टुल पर विस्तार से चर्चा की।

इस नई व्यवस्था की विशेषता होगी कि निरीक्षण के लिए राज्य स्तर से संकुल स्तर एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी और स्कूल आबंटन किया जाएगा। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार और उनसे संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर ही फोकस किया जाएगा। परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जुड़े कुछ जमीनी स्तर के पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। वर्चुअल और प्रत्येक्ष दोनो प्रकार से निरीक्षण किए जाने की सुविधा दी जाएगी। एनआईसी के सहयोग से इसे ऑनलाईन और आसान बनाया जाएगा। जमीनी स्तर पर शिक्षकों द्वारा किए जा रहे विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए किए जाने वाले नवाचारी कार्यों को ढूंढने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। जिले में बेहतर कार्यों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर त्वरित फ ॉलोअप की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्तर की अधिकारियों और शाला प्रबंधन सिमिति को तत्काल उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल कर निरीक्षण प्रणाली से परिचित करवाया जाएगा। सभी स्तर पर निरीक्षण रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का रिपोर्ट देखने की सुविधा दी जाएगी। राज्य में प्राथकिताओं के आधार पर टूल के कुछ बिन्दुओं में परिवर्तन किए जाने की सुविधा दी जाएगी।

राज्य स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों को जिले आबंटित किए जाएंगे। जिनमें वे प्रतिमाह कम से कम 5 स्कूलों का प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन निरीक्षण करेंगे। जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी अपने निर्धारित विकासखण्ड की कम से कम 5 स्कूलों का प्रतिमाह वर्चुअल भ्रमण एवं कम से कम दो स्कूलों का अकादमिक निरीक्षण प्रतिमाह करेंगे। विकासखण्ड स्तर के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र के शाला संकुलों की कम से कम 20 स्कूलों का प्रतिमाह अकादमिक निरीक्षण करेंगे। शाला संकुल प्राचार्य अपनी शाला संकुल की कम से कम 50 प्रतिशत स्कूलों का प्रतिमाह अकादमिक निरीक्षण करेंगे। संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक अपने स्कूल में नियमित अध्यापन के साथ-साथ संकुल के सभी स्कूलों का माह में कम से दो बार अवश्य अकादमिक निरीक्षण करेंगे।